

ओमाराम बनाम लो.सू.अ. ( तहसीलदार लूणी )

नं० व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील  
में जारी हुए

सू.अ.अ. अपील संख्या 140/2020

28.09.20

अपीलार्थी ओमाराम पुत्र हणूताराम विश्नोई, पता जम्भेश्वर नगर, बागड़ों की ढाणी, कांकाणी तहसील लूणी जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 26.07...20 में उसके द्वारा (1) राजस्व गांव कांकाणी के खसरा नम्बर 411 के सीमांकन हेतु प्रस्तुत आवेदन एवं उस पर की गई कार्यवाही से संबंधित समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां व अन्य बिन्दु, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी ( तहसीलदार लूणी ) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों.पक्ष ( तहसीलदार लूणी ) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लो.सू.अ..( तहसीलदार लूणी ) से आदिनांक तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी ( तहसीलदार लूणी ) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रार्थी को 15 दिवस में उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।

